(1798)

न्यायालय श्रीमान् सम आदरणीय राजस्व मण्डल, कैम्प उज्जैन.(म.प्र.)

प्रकरण कमॉक– /निगरानी 2018–19

निगरानी-0848/2019/मन्दसौर/[illegible]

1.भारतकुँवर पिता मॉगीलाल उर्फ मांगू सिंह राजपूत
2.रामकुँवर पिता मॉगीलाल उर्फ मांगू सिंह राजपूत
3.श्रीमती उम्मेदबाई पिता मॉगीलाल उर्फ मांगू सिंह राजपूत
4.रतनकुँवर पिता मॉगीलाल उर्फ मांगू सिंह राजपूत
सभी निवासीगण ग्राम गोपालपुरा, तहसील शामगढ जिला मंदसौर (म.प्र.) .... आवेदगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री रामबाबू पाटीदार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 28/6/19
अधीक्षक 28.6.19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1.मॉगीलाल उर्फ मांगू सिंह पिता खुमान सिंह सौंधिया राजपूत
2.गोकुल सिंत पिता भगवान सिंह सौंधिया राजपूत
3.वशनकुँवर पति गोकुल सिंह सौधिया राजपूत
सभी निवासीगण ग्राम गोपालपुरा, तहसील शामगढ जिला मंदसौर (म.प्र.) .... अनावेदगण

700 28/6/19

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमॉक 884/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनॉक 30.10.2018 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

C.F. 27-8-19

मान्नीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखीत प्रस्तुत हैं –

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, प्रार्थी आवेदकगण मॉगीलाल की पुत्रिया हैं मॉगीलाल उर्फ मॉगू सिह पिता खुमान सिंह सोंधिया राजपूत के नाम से ग्राम गोपालपुरा तहसील शामगढ जिला मंदसौर पटवारी हलका नं. 17 में भूमि सर्वे नं. 172, 221 मे से की 282 रकबा कमशः 0.28 आरे 0.32 आरे 0.14 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 आरे को अनावेदक कमॉक 1 द्वारा अनावेदक कमॉक 3 वन्शकुँवर पति गोकुल सिह को 5,00,000/– अक्षरी पॉच लाख रूपये में विकय पत्र का सम्पादन किया गया। विकय मूल्य 5,00,000/– अक्षरी पॉच लाख रूपये दर्शित किया गया। जबकि, जमीन का वास्तविक मूल्य 5,00,000/–अक्षरी पॉच लाख रूपये बीघा के करीब 20,00,000/– अक्षरी बीस लाख रूपये के लगभग हैं।

यह कि, उक्त विकय पत्र के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय शामगढ के समक्ष नामांतरण आवेदन पत्र अनावेदक कमॉक 3 के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमॉक– 26 अ–6/2016–17 पर कायम किया गया जिसमें दिनॉक 15.5.2017 को आदेश पारित कर पक्ष कमॉक 3 का नामांतरण का आदेश पारित किया गया। 2

178

200

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-848/2019/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/10/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25-09-2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राह्य की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	